

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(गौरव अग्रवाल, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

90 / 2019
23-12-2019

श्रीमति सीमा परवीन पत्नि इरशाद खान निवासी टोंक हाल निवासी खातोली तहसील
उनियारा जिला टोंक राज०

—अपीलाण्ट

बनाम

नायब तहसीलदार सोप जिला— टोक

—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरुद्ध निर्णय नायब तहसीलदार सोप दिनांक 22-10-2019



उपरिस्थिति : (1) श्री अशोक कासलीवाल अपीलान्ट
(2) श्री जुगनू शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक 21-12-2020

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप ने अपने निर्णय दिनांक 22-10-2019 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 523 रकबा 1.00 है० वाके ग्राम खातोली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर भूमि से बेदखल करने 400/रूपये की पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट को नायब तहसीलदार सोप द्वारा निर्णय से पूर्व नोटिस नहीं दिया है ओर नोटिस पर अपीलान्ट की विधिवत् व्यक्तिशः तामिल नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना एक पक्षीय निर्णय पारित करने में गलती की पटवारी हल्का ने दुर्भावना पूर्वक अपीलान्ट के विरुद्ध कब्जे बाबत गलत रूप से रिपोर्ट की है। अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर नहीं दिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार ने विश्वास करके जो निर्णय पारित किया है वह निरस्त योग्य है। अपीलान्ट के अभिभाषक का यह भी कथन है कि अपीलान्ट सजायाब किये जाने से पूर्व विधि अनुसार अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया है



जिला कलेक्टर
टोंक

अपीलान्ट को उक्त निर्णय की कोई जानकारी दी गई जिससे निर्णय विधि विरुद्ध है ओर निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दोषपूर्ण होने से निरस्तनीय है।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलान्ट के बाहर गये होने के कारण नोटिस उसके मकान पर दो गवाहों की मौजूदगी में चस्पा किया गया था। विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 523 रकबा 1.00 है0 बंजड़ पर अपीलान्ट ने उड़द की फसल काशत कर अतिक्रमण किया है। इस भूमि पर अपीलान्ट ने पहले भी अतिक्रमण किया था ओर अब पुनः अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विवादित भूमि से पूर्व में पत्रावली सं0 250/18 से बेदखल किया गया था एवं पुनः पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना माना गया है। अपीलान्ट सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने की आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस मकान पर चस्पा किया गया है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई है। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 523 रकबा 1.00 है0 वाके ग्राम खातोली तहसील उनियारा पर उड़द की फसल काशत कर अतिक्रमण किया है जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयानो से सिद्ध है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व गत वर्ष में भी अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 250/18 से बेदखल किया जाना जाहिर है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है, किन्तु अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई है। अतिक्रमी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ऐसी स्थिति में न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा को अपास्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा को अपास्त किया जाता है शेष निर्णय नायब तहसीलदार सोप दिनांक 22-10-2019 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 21-12-2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(गौरव अग्रवाल)
जिला फौजदार केक
दोहद